न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस
मुकदमा नं0 52/2025

1. हनुमान प्रसाद पुत्र श्री देवीलाल
2. सीताराम पुत्र देवीलाल
3. विनोद कुमार नागा पुत्र गोपालाल नागा
4. बिहारीलाल नागा पुत्र गोपाल लाल

निवासी ढाणी नागान, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0 प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये:—तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित :— 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा वकील प्रार्थी
2. सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांक :— 04/07/2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132, 136 भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम ढाणी नागान तह0 जोबनेर में स्थित आराजी खसरा नं. 570/1 रकवा 0.1897 है0 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है और प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त खसरा नंबर 570/1 पर वर्षो से सैटलमेन्ट नक्शे के अनुरूप काबिज काश्त है परन्तु वर्तमान में नये ऑनलाईन नक्शे बनाते समय राजस्व कर्मचारियों के द्वारा प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नं0 570/1 के दक्षिणी सीमा रेखा को वर्तमान में राजस्व नक्शे में गलत तरमीम कर दिया गया जो पूर्व के सैटलमेन्ट नक्शे व प्रार्थीगण के कब्जे के विपरीत है जिससे कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 570/1 की दक्षिणी सीमा को पूर्वी तरफ 25.10 मीटर अर्थात 82 फीट 4 इंज उत्तर की तरफ करके व पश्चिम की तरफ 11.51 मीटर अर्थात 37 फीट 9 इंच दक्षिण की तरफ करके तरमीम दुरूस्ती कर रकबा बरारी कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबे के अनुसार तरमीम दुरूस्त करना आवश्यक है। क्योकि प्रार्थीगण वर्तमान मे इसी अनुसार मौके पर भी काबिज काश्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 570/1 की दक्षिणी सीमा को पूर्वी तरफ 25.10 मीटर अर्थात 82 फीट 4 इंच उत्तर की तरफ करके व पश्चिम की तरफ 11.51 मीटर अर्थात 37 फीट 9 इंच दक्षिण की तरफ करके तरमीम दुरूस्त कर रकबा बरारी कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबे के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की आज्ञा प्रदान करे।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश कि ग्राम ढाणी नागान के खसरा नंबर 570/1 रकबा 0.1897 की खातेदारी बिहारीलाल, विनोदकुमार पी0 गोपाल हि0 1/3 सीताराम पुत्र देवीलाल हि0 1/3, हनुमान प्रसाद पी0 देवीलाल हि0 1/3 कौम कुमावत सा.देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 565/0.0253 गे0मु0 चाह, 566/4.4510, 570/1/0.1897 किता 03 रकबा 4.6660 हे0 की खातेदारी भूमि एक ही जगह पर काबिज काश्त कर रहे है। आराजी खसरा नंबर 570/1 का मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार उक्त खसरा नंबर 570/1 की दक्षिणी सीमा की तरमीम मौके के कब्जे काश्त अनुसार नही है। उक्त तरमीम सहवन से सेग्रीगेशन (DILRMP योजना) के दौरान की गई जो गलत दर्ज हो गई। खसरा नंबर 570/1 की तरमीम राजस्व रिकार्ड, मौका कब्जानुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नक्शा दुरूस्ती के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। हमने बहस वकील प्रार्थीगण पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि खसरा नंबर 570/1 की दक्षिणी सीमा की तरमीम मौके के कब्जे काश्त अनुसार नही है। उक्त तरमीम सहवन से सेग्रीगेशन (DILRMP योजना) के दौरान की गई जो गलत दर्ज हो गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आवलोकन से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नं0 खसरा नंबर 570/1 की दक्षिणी सीमा की तरमीम मौके के कब्जे काश्त अनुसार नही है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132, 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। खसरा नंबर 570/1 रकबा 0.1897 हे0 की तरमीम तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02.07.2025 के अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट निर्णय के साथ जुज रहेगी। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 04/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर, जिला जयपुर

देवेन्द्रपालसिंह चौहान
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर